

कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।

इच्छा की अभिव्यक्ति।

पलामू ब्याघ्र आरक्ष में वन्यप्राणियों के अन्य पर्यावासों से कनेक्टिविटी और कॉरिडोर का अध्ययन, मूल्यांकन एवं स्थल विशिष्ट योजनाओं के सूत्रण हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव।

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज के क्षेत्राधीन पलामू ब्याघ्र परियोजना के उत्तरी प्रमंडल एवं दक्षिणी प्रमंडल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन्यप्राणियों के अन्य पर्यावासों यथा संजयडुमरी, अचानकमार (छतीसगढ़) इत्यादि से कनेक्टिविटी और कॉरिडोर का अध्ययन, मूल्यांकन एवं स्थल विशिष्ट योजनाओं के सूत्रण करने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव दिनांक 31.10.2019 को अपराह्न 4:00 बजे तक निम्नवत् अभिलेखों/शर्तों के साथ समर्पित करें:-

1. संस्था का निबंधन पत्र की छायाप्रति।
2. नियमानुसार ईनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन/जी0एस0टी0/टैन नं0 आदि का प्रमाण एवं अन्य आवश्यक कागजात।
3. संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी का पैन कार्ड।
4. संस्था/ट्रस्ट/कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. विगत तीन वर्षों का ईनकम टैक्स रिटर्न।
6. संस्था के पैनल में शामिल विशेषज्ञों की सूची।
7. अपने प्रस्ताव के लिए संस्थाओं को Time Table/ Time Frame समर्पित करना होगा एवं उनके कार्यों की Mid-term समीक्षा अधोहस्ताक्षरी एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा की जाएगी।
8. Mid-term समीक्षा में दिय गए सुझावों को सम्मिलित करना संस्थाओं के लिए बाध्यता होगी। अपने प्रस्ताव के साथ संस्थाओं एवं कंपनी को 1000 शब्दों में कार्यों की रूपरेखा एवं कार्यप्राणली (Methodology) का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
9. संस्थाओं के चयन में उनके द्वारा समर्पित संलेख एवं संस्था का Reputation विशेषज्ञों की सूची एवं कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। चूंकि यह किसी सामग्री का क्रय नहीं है अतः संस्थाओं के चयन के न्यूनतम दर का प्रस्ताव देने पर उनका चयन करना कमिटी की बाध्यता नहीं होगी।

इस अध्ययन का उद्देश्य कार्यों की गुणवत्ता एवं उनका वन्यप्राणी प्रबंधन में प्रभाव एवं भविष्य की योजनाओं की आवश्यकता के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना होगा।

नोट:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना कारण बताये किसी भी वक्त इच्छा की अभिव्यक्ति रद्द की जा सकती है।

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।